# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
**नामान्तरण अपील संख्याः 04/2024**

**दायर दिनांकः 05.01.2024**

**निर्णय दिनांक 21.11.2025**

**—: अनवान :—**

श्री फतह सिंह पिता श्री सज्जन सिंह जी, जाति रावल, उम्र 72 वर्ष, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

**— अपीलार्थी**

**बनाम**

1. श्री छगन लाल दत्तक पुत्र श्री हीरा जी, जाति तेली, उम्र व्यस्क, निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

**— रेस्पोडेन्टगण**

**अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 311, निर्णय दिनांक 15/10/1977 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय, राजसमन्द**

**उपस्थित :—**

1. श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अक्षय पालीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री अनिल बागोरा, राज0 अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 2

## —:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 311 निर्णय दिनांक 15.10.1977 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी फतह सिंह के पिताजी स्वर्गीय सज्जन सिंह पिता विशन सिंह जी रावल, जिनके वृद्व होने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारी हीरा पिता दोला ने नाजायज फायदा उठाते हुए यह जानते हुए कि अपीलार्थी के पिता अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग में हैं और अपीलार्थी के पिता सज्जन सिंह के कानूनन कृषि भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं खरीद सकते हैं, जो धारा 42 टिनेन्सी एक्ट के तहत पंजीकृत पत्र भी अवैध व शून्य हैं और यह आज्ञापक प्रावधान होते हुए भी अपीलार्थी के पिता के नाम की स्वामित्व, आधिपत्य की पुश्तैनी भूमियों को अवैध रूप से तथाकथित फर्जी विक्रय—पत्र के आधार पर अवैध रूप से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी हीरा के नाम खुलवा लिया, जबकि कानुनन अनुसूचित जाति की कृषि भूमि क्रय नहीं की जा सकती हैं और न ही कोई विक्रय—पत्र निष्पादित अथवा पंजीयन किया जा सकता हैं। इसके बावजूद उक्त फर्जी, अवैध व शुन्य विक्रय दस्तावेजों से कानूनी प्रावधानों के विपरीत उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार राजसमन्द द्वारा खोला गया, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य होने के आधार पर उक्त नामान्तरकरण काबिल निरस्त योग्य हैं। कानूनन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एवं राजस्थान काश्तकारी कानून के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वाधिकारी के नाम अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमियों को रेस्पोडेन्ट के दत्तक पिता हीरा के नाम से अवैध रूप से फर्जी विक्रय–पत्र बनवा लिया और पटवारी हल्का राज्यावास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार साहब से मिलीभगत कर उपरोक्त नामान्तरकरण आदेश विधि विरूद्ध करवा दिया, जो अवैध व शुन्य दस्तावेजों के आधार पर खुलने से उक्त नामान्तरकारण प्रारम्भ से ही स्वर्गीय सज्जन सिंह एवं उसके वारिसान् अपीलार्थी के मुकाबले अवैध, विधि विरूद्ध एवं शून्य हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपरोक्त विधि–विरूद्ध नामान्तरकरण अन्य रेस्पोडेन्टस के पूर्वाधिकारी के नाम खोले में भारी भूल कारित की है, जो न्याय संगत नहीं होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने एवं टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो का उल्लघंन होकर उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही काबिल खारिज के हैं। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के आधिपत्य में स्थित उक्त नामान्तरकरणशुदा कृषि भूमियों से बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलार्थी द्वारा पूर्व में रजिस्टर्ड सूचना–पत्र दिया गया, जिसकी रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत जवादेही की गई तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट को अपनी कृषि भूमियों से अवैध नामान्तरकरण के आधार पर बेदखल करने का प्रयास करने पर दिनांक 14.12.2023 को नामान्तरण की नकल निकलवाई और उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध खोले जाने एवं नामान्तरकरण अवैध व शुन्य तथा कानूनन अवैध व शुन्य दस्तावेज को कदापि निरस्त कराने में मियाद लागू नहीं होने से आप न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद नामान्तरण अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 311 दिनांक 15.10.1977 संलग्न नकल निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामान्तरकरण भूमियां मृतक सज्जन सिंह के वारीसान अपीलार्थी व अन्य के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी फतह सिंह के पिताजी स्वर्गीय सज्जन सिंह पिता विशन सिंह जी रावल, जिनके वृद्ध होने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारी हीरा पिता दोला ने नाजायज फायदा उठाते हुए यह जानते हुए कि अपीलार्थी के पिता अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग में हैं और अपीलार्थी के पिता सज्जन सिंह के कानूनन कृषि भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं खरीद सकते हैं, जो धारा 42 टिनेन्सी एक्ट के तहत पंजीकृत पत्र भी अवैध व शून्य हैं और यह आज्ञापक प्रावधान होते हुए भी अपीलार्थी के पिता के नाम की स्वामित्व, आधिपत्य की पुश्तैनी भूमियों को अवैध रूप से तथाकथित फर्जी विक्रय–पत्र के आधार पर अवैध रूप से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी हीरा के नाम खुलवा लिया, जबकि कानुनन अनुसूचित जाति की कृषि भूमि क्रय नहीं की जा सकती हैं और न ही कोई विक्रय–पत्र निष्पादित अथवा पंजीयन किया जा सकता हैं। इसके बावजूद उक्त फर्जी, अवैध व शुन्य

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

विक्रय दस्तावेजों से कानूनी प्रावधानों के विपरीत उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार राजसमन्द द्वारा खोला गया, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य होने के आधार पर उक्त नामान्तरकरण काबिल निरस्त योग्य हैं। कानूनन एवं राजस्थान काश्तकारी कानून के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वाधिकारी के नाम अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमियों को रेस्पोडेन्ट के दत्तक पिता हीरा के नाम से अवैध रूप से फर्जी विक्रय–पत्र बनवा लिया और पटवारी हल्का राज्यावास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार साहब से मिलीभगत कर उपरोक्त नामान्तरकरण आदेश विधि विरूद्ध करवा दिया, जो अवैध व शुन्य दस्तावेजों के आधार पर खुलने से उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही स्वर्गीय सज्जन सिंह एवं उसके वारिसान् अपीलार्थी के मुकाबले अवैध, विधि विरूद्ध एवं शून्य हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपरोक्त विधि–विरूद्ध नामान्तरकरण अन्य रेस्पोडेन्टस के पूर्वाधिकारी के नाम खोले में भारी भूल कारित की है, जो न्याय संगत नहीं होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने एवं टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो का उल्लघंन होकर उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही काबिल खारिज हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 311, दिनांक 15.10.1977 को अपास्त किया जाकर उक्त नामान्तरकरण भूमियां मृतक सज्जन सिंह के वारीसान/ अपीलार्थी व अन्य के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावें या वादग्रस्त भूमि को बिलानाम सरकार किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मयाद से बाधित है। अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 47 वर्ष पश्चात अपील पेश की है। अपीलार्थी स्वयं पटवारी होकर कह रहे है कि जानकारी 2023 में हुई है जो मानने योग्य कथन नहीं है। तथा विक्रय पत्र में भी अपीलार्थी की जाति राजपुत अंकित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। यदि अपीलार्थी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के संबंध में विवाद है तो सिविल न्यायालय में वाद दायर कर निरस्त कराते। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 311 दिनांक 15.10.1977 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उनके/अपीलान्ट के पिताजी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित थे। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारी हीरा पिता दोला ने उनकी उम्र का फायदा उठाते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रजिस्ट्री करवा ली। जो कि स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं है। जो गैर कानूनी है।

उक्त संबंध में पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति के अवलोकन से यह जाहिर हुआ है कि अपीलान्ट के पिता श्री सज्जन सिंह जी ने स्वयं को रावल राजपूत बताते हुए उक्त विवादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारी हीरा पिता दोला के पक्ष में निष्पादित की गयी थी। अब उनका पुत्र जो कि अपीलान्ट है। इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को गैर कानूनी बताते हुए तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 311 दिनांक 15.10.1977 को निरस्त कराने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है पत्रावली में अपीलार्थी का जाति प्रमाण पत्र भी लगा है इसमें अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित बताया गया है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह जाहिर हुआ है कि अपीलार्थी के पिता ने स्वयं को अनुसूचित जाति का होते हुए भी गैर अनुसूचित जाति वर्ग कां बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्वाधिकारी हीरा पिता दोला को अपनी भूमि विक्रय कर दी है। इस कृत्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के प्रावधान आकर्षित होगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि तहसीलदार जांच करे की यदि विक्रेता स्व. श्री सज्जन सिंह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है तथा उनके द्वारा अपनी जाति छुपाकर स्वयं को राजपूत बताते हुए/अनारक्षित बताते हुए भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारी हीरा पिता दोला को किया गया है तो उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 311 दिनांक 15.10.1977 को निरस्त कर उक्त भूमि को राज्य सरकार अपने कब्जे में लेकर भूमि बिलानाम सरकार करे।

**(अरूण कुमार हसीजा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

**निर्णय आज दिनांकः 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(अरूण कुमार हसीजा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)